# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग
## आदेश

सं० सं०–17/कोर्ट–54/2024– 347(17)  पटना, दिनांक :– 08/04/2025

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षक डा० रूबी कुमारी, सहायक प्राध्यापक (संविदा–BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–416(17) दिनांक–14.04.2020 सहायक प्राध्यापक (नियमित), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया के पद पर पदस्थापन नही किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–15368/2024 डा० रूबी कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गयी।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या–15368/2024 डा० रूबी कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे दिनांक–07.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

Considering the aforesaid submission made on behalf of the petitioner, the Additional Chief Secretary, Department of Health, Government of Bihar, is directed to consider the grievance of the petitioner in light of the several circulars of the State Government, where the relief(s) as prayed for in the present writ petition has been granted by posting the husband and wife on spousal ground in the same district. The Additional Chief Secretary, Department of Health, Government of Bihar, is directed to dispose of the representation filed on behalf of the petitioner expeditiously, in accordance with law and circulars considering the fact that the representation of the petitioner is pending before him for his consideration since year 2020.

With aforesaid observations/directions, the present writ petition is disposed of.

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में डा० रूबी कुमारी द्वारा दिनांक–14.01.2025 को आवेदन समर्पित किया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के सुचारू रूप से सचालन एवं भारतीय चिकित्सा परिषद सम्प्रति राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विषयों की मान्यता बहाल रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 के आलोक में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 तथा संशोधन नियमावली, 2013 एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् के शिक्षक पात्रता मापदण्ड के अनुरूप संविदा के आधार पर सहायक प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग के रिक्त पदों पर विभागीय अधिसूचना संख्या–323(17) दिनाक–17.05.2019 द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियोजित एवं पदस्थापित किया गया। जिसके आलोक में इनके द्वारा दिनांक–20.05.2019 को प्रभार ग्रहण किया गया।

5. कालांतर मे राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में नियमितं सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सख्या–20/2017 (स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग) में प्राप्त अनुशंसा के आंलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–416(17) दिनांक–14.04.2020 द्वारा डा० रूबी कुमारी की नियुक्ति सहायक प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में की गयी, परन्तु नियमित नियुक्ति के उपरान्त इनके द्वारा पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया।

D/vibha ji/Aadesh

(04)

6 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डा० रूबी कुमारी द्वारा विभिन्न समयावधियों में दिये गये आवेदन की समीक्षा की गयी। डा० रूबी कुमारी सहायक प्राध्यापक स्त्री रोग एव प्रसव विभाग के रिक्त पद के विरूद्ध वर्तमान में संविदा–BHS के आधार पर कार्यरत है एव समय–समय पर इनका संविदा अवधि विस्तारित की गयी है, ऐसे में इन्हें सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरूद्ध आदेश निर्गत के उपरान्त योगदान की तिथि से नियमित सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि) के पद पर अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया में वेतनमान लेवल–11 मे (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों के साथ) नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
**(रेणु कुमारी)**
विशेष कार्य पदाधिकारी।

**ज्ञापांक :–17/कोर्ट–54/2024–** 347(17) **पटना, दिनांक :–** 08/04 **/2025**

प्रतिलिपि :– Assistant Counscl to Advocate General, Bihar, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–5934 दिनांक–18.09.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्याल, गया/जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० रूबी कुमारी, सहायक प्राध्यापक (संविदा–BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** आई० टी० मैंनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।